भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3047

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

कुपोषण

3047. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर:
श्री राजा राम सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में छः वर्ष से कम आयु के 17 प्रतिशत बच्चे कम वजन के थे, 36 प्रतिशत बौने थे और 6 प्रतिशत बच्चे अपक्षयग्रस्त थे जिनमें 46 प्रतिशत बौनापन वाले शामिल हैं, यदि हां, तो कम वजन वाले और बौनापन वाले बच्चों की राज्य-वार संख्या दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से अधिक प्रभावित राज्यों और जिलों में बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बाल पोषण परिणामों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और उनमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे राज्यों को कौन-कौन से संसाधन आवंटित किए गए हैं जहां बौनापन वाले बच्चों की प्रतिशतता अधिक है;

(घ) क्या सरकार विशेषकर उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप में जहां ऐसे बच्चों की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वहां बौनेपन और कम वज़न वाले बच्चों की उच्च दर को कम करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) असुरक्षित आबादी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): 15वें वित्त आयोग के तहत, बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन कराने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है और इसे उच्च भार वाले जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन एक प्रमुख कार्यकलाप है जिसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी

कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**ठिगनापन %**	**अल्पवजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संबंधित समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों के कद और वजन की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने, 17% बच्चे अल्प वजन के और 5.2% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की कद और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणाली का लाभ उठाया गया है। 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण आईटी गवर्नेंस टूल के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। यह सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों

(एडब्ल्यूडब्ल्यू) और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन, अल्प वज़न के प्रसार की सतत पहचान के लिए पोषण ट्रैकर का लाभ उठाया जा रहा है।

मोबाइल एप्लिकेशन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों के डिजिटलीकरण और स्वचालन की सुविधा भी प्रदान की है जो उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे, दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), पके हुए गर्म भोजन/ घर ले जाने वाले राशन के प्रावधान, विकास माप आदि के लिए रीयल टाइम डेटा संग्रह को सुविधाजनक बनाया है।

बच्चों (0-5 वर्ष की आयु) में कुपोषण संकेतकों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

श्री एस सुपोंगमेरेन जमीर और श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए "कुपोषण" के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 3047 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अक्टूबर 2024 महीने में पोषण ट्रैकर से बच्चों (0-5 वर्ष की आयु) में कुपोषण संकेतकों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है*:

राज्य	ठिगनापन %	दुबलापन %	अल्प वजन %
आंध्र प्रदेश	22.6	5.3	10.8
अरुणाचल प्रदेश	32.8	4.2	9.6
असम	42.4	3.8	16.4
बिहार	43.8	9.2	22.9
छत्तीसगढ	21.5	7	13.1
गोवा	4.1	0.6	1.7
गुजरात	40.8	7.8	21
हरियाणा	28.2	4.1	8.7
हिमाचल प्रदेश	18.4	1.7	6.3
झारखंड	43.8	6.2	19.3
कर्नाटक	39.7	3.2	17.1
केरल	34.4	2.3	9.5
मध्य प्रदेश	46.5	7	26.5
महाराष्ट्र	47.7	4.1	16.5
मणिपुर	7.7	0.3	2.6
मेघालय	18.2	0.4	4.5
मिजोरम	26.7	2.3	5.9
नागालैंड	28	5.3	6.6
ओडिशा	29.1	2.9	12.8
पंजाब	18.4	3	5.9
राजस्थान	36.6	5.5	17.7
सिक्किम	9.2	1.5	1.7
तमिलनाडु	13.4	3.6	7.1
तेलंगाना	32.6	5.6	16.2
त्रिपुरा	40.5	6.3	16.6
उत्तर प्रदेश	48	3.9	19.4
उत्तराखंड	21	1.5	5.4
पश्चिम बंगाल	38	7.5	13

राज्य	ठिगनापन %	दुबलापन %	अल्प वजन %
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.7	2.3	3.9
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	35.9	3.4	16.1
दिल्ली	41.9	3	20.6
जम्मू एवं कश्मीर	12.1	0.7	3
लद्दाख	11	0.2	2
लक्षद्वीप	46.5	11.9	25.1
पुदुचेरी	40.2	6.8	13
संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	26.3	1.8	11.9

अनुलग्नक-II

श्री एस सुपोंगमेरेन जमीर और श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए "कुपोषण" के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 3047 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि – करोड़ रुपये
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	35.71
2	आंध्र प्रदेश	2278.07
3	अरुणाचल प्रदेश	470.67
4	असम	5204.84
5	बिहार	5173.81
6	चंडीगढ़	68.22
7	छत्तीसगढ	1855.15
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	27.10
9	दिल्ली	477.69
10	गोवा	39.49
11	गुजरात	2879.30
12	हरियाणा	594.07
13	हिमाचल प्रदेश	819.31
14	जम्मू और कश्मीर	1415.63
15	झारखंड	1448.19
16	कर्नाटक	2682.54
17	केरल	1139.85
18	लद्दाख	53.10
19	लक्षद्वीप	5.43
20	मध्य प्रदेश	3220.15
21	महाराष्ट्र	5059.08
22	मणिपुर	566.15
23	मेघालय	635.41
24	मिजोरम	202.39
25	नागालैंड	622.01
26	ओडिशा	2958.71
27	पुदुचेरी	7.37
28	पंजाब	766.70
29	राजस्थान	2748.63
30	सिक्किम	79.54

31	तमिलनाडु	2302.98
32	तेलंगाना	1540.88
33	त्रिपुरा	581.47
34	उत्तर प्रदेश	7798.11
35	उत्तराखंड	1067.74
36	पश्चिम बंगाल	3133.50

*****